भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 260*

दिनांक 13.03.2018/22 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

आदर्श पुलिस अधिनियम

***260. श्री विजय कुमार हांसदाकः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार आदर्श पुलिस अधिनियम को राज्यों को विचारार्थ भेजा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) उक्त अधिनियम किस तिथि को राज्यों को भेजा गया; और
(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस पर अपने विचार भेज दिए हैं तथा कौन-कौन-से राज्य ऐसा करने में असफल रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'आदर्श पुलिस अधिनियम' के संबंध में दिनांक 13.03.2018 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 260 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां।

(ख) से (घ): बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप तथा 'पुलिस' को और अधिक तत्पर, कार्यकुशल और नागरिक हितैषी बनाने के लिए एक मसौदागत आदर्श पुलिस विधेयक, 2015 तैयार किया गया है। 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था की अवधारणा की दस विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में पुलिस द्वारा किसी मामले की जांच के दौरान निजता का सम्मान, किसी व्यक्ति की निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत दासता के कार्य को निषिद्ध करना और जांच की प्रगति के बारे में समय-समय पर सूचित किए जाने से संबंधित शिकायतकर्ता का अधिकार शामिल है।

मसौदागत आदर्श पुलिस विधेयक दिनांक 15.10.2015 को सभी स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों के लिए बीपीआरएंडडी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र ने मसौदागत आदर्श पुलिस विधेयक, 2015 के संबंध में अपने विचार भेज दिए हैं।

******